वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024
(Annual Administrative Report 2024)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला
गृह विभाग, राजस्थान सरकार

STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY
Home Department, Govt. of Rajasthan

फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर

डी.एन.ए.भवन, जयपुर

लक्ष्य

अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य, निपुणता एवं वर्तमान पारिदृश्य में अपराधी द्वारा अपराध किये जाने में प्रयुक्त संसाधनों व अपराध की जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जाकर अपराधी को अपराध से जोड़ने में वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाये जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सार संक्षेपः वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2–3
2.	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3–9
4.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाः अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका	10
5.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चरणबद्ध विकास	11
6.	संगठनात्मक चार्ट– परीदृश्य	12
7.	संगठनात्मक स्वरूप	13
8.	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	14
9.	प्रकरण सांख्यिकी	15–16
10.	एफएसएल में परीक्षण किये गये महत्त्वपूर्ण प्रकरण	17–26
11.	घटना स्थल निरीक्षण : महत्त्वपूर्ण प्रकरण	27–33
12.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष	34
13.	विशेष पहल,वर्ष 2024 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं भविष्य की योजना	35
14.	झलक 2024	36

सार संक्षेप : राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला वैधानिक स्थिति,कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 329 में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञः एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैंः–

1. अपराध संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व अपराध सिद्धि मे इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् अवगत कराना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराधी को अपराध से जोड़ने, अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का स्थापित करने में योगदान।
5. माननीय न्यायालयों में आवश्यकातुसार साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों व अन्य जांच ऐजेंसियों के अन्वेषण अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य, विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार'' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यतः ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति–संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए

विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों –जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के जिला मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें जोधपुर में 6, अजमेर व बीकानेर में 5, उदयपुर, कोटा व भरतपुर में 4 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 554 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 105 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 283 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2024 में 50839 अपराध प्रकरणों के 282538 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में माननीय न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' के आधार पर अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2024 में कुल 2837 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण व गुणवत्ता आधार पर अनेक राष्ट्रीय स्तरीय जांच एजेंसी जैसे– एन. आई.ए., सी.बी.आई. एवं भारतीय सेना द्वारा भी एफ.एस.एल. राजस्थान में फोरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित

अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में विशिष्ट फोरेंसिक क्षेत्रों में कुल 13 खण्ड है, जिनमें अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं उपकरणों आदि का विवरण निम्न प्रकार है–

डी.एन.ए. खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**–हत्या, दुष्कर्म, पोक्सो अपराध, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

डीएनए लैब में उपकरणों पर कार्य करते वैज्ञानिक

क्यूआरटी डी.एन.ए टीम– विशेष रूप से 12 वर्ष आयु तक के अबोध बालक–बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि से सम्बन्धित अपराध प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु।

जीन सीक्वेंसर पर डीएनए एनालिसिस करती क्यूआरटी

(2) **भौतिक साक्ष्यः**–शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े–गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम–विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक–अंग, मिट्टी आदि।

(3) **उपकरणः**–ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी. सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी.आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, क्वान्टस, प्लेटसेन्ट्रीफ्यूज, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

जैविक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**–बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 103, 109, 376, 139, 96, 85, 86, 80 बीएनएस 174, 176 बीएनएसएस से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य** :–वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, अन्य शारीरिक द्रव जैसे रक्त लार आदि लगे कपडे बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, सडे गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से प्राप्त उत्तक–अंग, त्वचा, भ्रूण, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) **उपकरणः**–हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टिरियो जूम माइक्रोस्कोप, कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1)जाँच की प्रकृतिः—इंटरनेट जनित ई—कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई—बैंकिंग धोखाधड़ी,सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध,तस्करों/जासूसों/घुसपैठियों/आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/टेंपरिग/डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ—सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग,स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

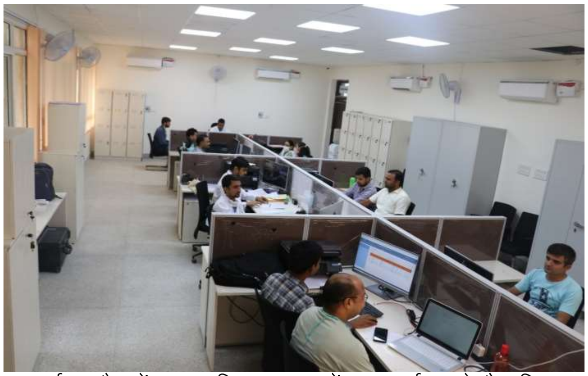

साईबर लैब में अत्याधुनिक उपकरणों पर कार्य करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः—साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मेमोरी स्टोरेज युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईलफोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम.मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) उपकरणः—कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर— एनकेस फोरेंसिक वर्जन 24.4, एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 8.1, मैगनेट एक्जीओम वर्जन 8.80, पासवेयर किट फोरेंसिक वर्जन 2025.1.0, हाई स्पीड क्लोनर/इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर—एक्स. आर. वाई. वर्जन 10.12, डीवीआर एक्जामिनर वर्जन 3.16, वी.डी. एक्सपर्ट विडियो ऑथेन्टिकेशन सॉफ्टवेयर, इमेजिंग डिवाईस : टी.एक्स 3, फालकॉन, लॉजीक्यूब डोजियर आदि।

सीरम खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला—बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 103, 109, 115(2), 201 बीएनएस से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) भौतिक साक्ष्यः—शारीरिक द्रव जैसे रक्त लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट—बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) उपकरण :—माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

भौतिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट—पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में मांग सत्यापन, रिश्वत लेनदेन से संबंधित ऑडियों फाईल्स् का ऑथेन्टीकेशन व आरोपी/परिवादी की आवाज का मिलान, 420 आईपीसी जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

Acustek TD-EXPERT उपकरण पर आवाज का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य** :—मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़—छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईंट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

सेम ई.डी.एक्स. उपकरण पर परीक्षण करते वैज्ञानिक।

(3) **उपकरणः**—ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल—4500), ऑडियो ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर (Acustek TD-EXPERT 6.0) आदि।

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट—डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना—धमकाना आदि।

Comparison Microscopeउपकरण पर जॉच करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः**— विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) **उपकरणः**— ई.डी.एक्स 8000., कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट, मोबाईल फायरिंग रेस्ट आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी—राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

(2) **भौतिक साक्ष्यः**— हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/फरोख्त/हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट—छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय—विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

वी.एस.सी. 6000 उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(3) **उपकरणः**—स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 8000, रेगुला—4307, ई.एस.डी.ए. यू.वी. उपकरण आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

जी.सी. एम.एस. उपकरण पर विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—मादक पदार्थ :— डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :— भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। मनःप्रभावी पदार्थः— मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। प्रतिबंधित रसायन :— जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) **उपकरणः**—जी.सी.मास, आर.आई., यू.वी.विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी. आदि।

रसायनखण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के 7 पीसी(संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 318, 103, 109 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

एल्कोहल ऐनालाईजर उपकरण पर परीक्षण करते हुए

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

(3) **उपकरणः**—डिजिटल बैलेंस, सेंट्रीफ्यूज, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, एल्कोहल ऐनालाईजर आदि।

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—आगजनी,मिलावट, दहेज हत्याव आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट 4,5 एक्सप्लोज़िव एक्ट,धारा 498ए, 302, 307, 120बी आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) **उपकरणः**—पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर प्रादर्शों का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

विष खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 103, 328, 85, 86, 80 आईपीसी, 174, 176 बीएनएसएस, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर ऐनालाइजर पर परीक्षण कार्य करते हुए

(2) भौतिक साक्ष्यः—विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं इत्यादि।

(3) उपकरणः—यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ.टी.आई.आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ—मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, एलाइजा रीडर फॉर स्नेक वेनम, कम्पाउंड माइक्रोस्कोप एवं एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर ऐनालाइजर आदि।

स्नेक वेनम का परीक्षण करते हुये वैज्ञानिक

फोटो खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, चोरी—डकैती, आतंकवाद, धोखाधड़ी, भूमाफिया, जालसाजी, ब्लैकमैलींग, मानहानी, स्त्री अशिष्ट निरूपेण अधिनियम, पॉक्सो, आईटी एक्ट, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से संबंधित अपराधों में सीसीटीवी फुटेज/मोबाईल/कम्प्यूटर से रिकवर फोटो/विडियो ईमेज से फेस मेचिंग, फोटो मिलान, फोटो एडिटिंग, टेम्परींग, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो अध्यारोपण संबंधित परीक्षण तथा अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी/विडीयोग्राफी आदि।

अपराध से संबंधित फोटोग्राफ/विडियो का परीक्षण

(2) भौतिक साक्ष्यः— सीडी, डीवीडी, पेनड्राईव, मोबाईल फोन एवं घटनास्थल या अपराध से संबंधित साक्ष्य, धोखाधड़ी, जमीन—जायदाद से संबंधित दस्तावेज के फोटोग्राफ, स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट, प्रतियोगी परीक्षा संबंधित फोटोग्राफ व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण। फोटो मिलान हेतु पिड़ित/आरोपी के चेहरे के चारो तरफ के पोस्टकार्ड साईज फोटोग्राफ एवं साफ्टकॉपी।

(3) उपकरण एवं सॉफ्टवेयरः— डीएसएलआर कैमरा, वीडियो कैमरा, रिप्रोविट यूनिट, कम्प्यूटर सिस्टम, स्कैनर, एच.पी. डिजाईन जेट प्लॉटर, कोनिका मिनोल्टा कलर फोटो प्रिन्टर एवं एडोब फोटोशॉप साफ्टवेयर, लॉजिक्युब फोरेन्सिक फाल्कन 3.2u3 साफ्टवेयरए नीरो स्टार्ट 26.6.7.0 साफ्टवेयर।

पॉलीग्राफ खण्ड

(1) जाँच की प्रकृतिः—धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान ।

पॉलीग्राफ मशीन पर परीक्षण कार्य करते हुये वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्यः—संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) उपकरणः—कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि ।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) एवं समस्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2024 में 2452 न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों/पीपी/एपीपी, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक वैज्ञानिकों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत फोरेंसिक साईंस के लगभग 340 इन्टर्नस् प्रशिक्षणार्थियों को एफएसएल के विभिन्न खण्डों में प्रशिक्षण दिया गया।

पुलिस आरक्षकों को एफएसएल प्रशिक्षण।

आरएफएसएल अजमेर द्वारा अनुसंधान अधिकारियों को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी देते हुए

आरएफएसएल जोधपुर में चिकित्सकों को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी देते हुए।

आरएफएसएल कोटा में अनुसंधान अधिकारियों की विधि विज्ञान संबंधी कार्यशाला।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 329 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण बीएनएस, बीएनएसएस, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपेण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट,एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यतः राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वे, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यों की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं। साक्ष्यसामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जांच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाई–डीटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 मोबाईल यूनिट्स के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2009 में 4 नवीन जिला मोबाईल यूनिट्स आरंभ।
13. वर्ष 2011 में जयपुर में डी.एन.ए. खण्ड का परीक्षण का कार्य प्रारम्भ।
14. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
15. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
16. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन का निर्माण हुआ।
17. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
18. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर, साईबर फोरेन्सिक खण्ड, फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया।
19. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर के नवनिर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया गया।
20. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
21. वर्ष 2020 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की सभी प्रयोगशालाओं में प्राप्त प्रकरणों का डाटा एन्ट्री कार्य आई.सी.जे.एस. अन्तर्गत ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर प्रारम्भ किया गया।
22. वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में डी.एन.ए. खण्ड प्रारम्भ हुआ।
23. वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा क्षे.वि.वि.प्र. भरतपुर के भवन निर्माण हेतु आवंटित 5000 वर्ग मीटर जमीन पर भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
24. वर्ष 2023 में क्षैत्रीय प्रयोगशाला अजमेर में डी.एन.ए. खण्ड का परीक्षण कार्य प्रारम्भ।
25. वर्ष 2024 में मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में साईबर खण्ड के नवीन भवन तथा डी.एन.ए. खण्ड के विस्तार भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ।
26. वर्ष 2024 में क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर, भरतपुर व कोटा में नवीन डीएनए व रसायन खण्ड स्वीकृत हुए।

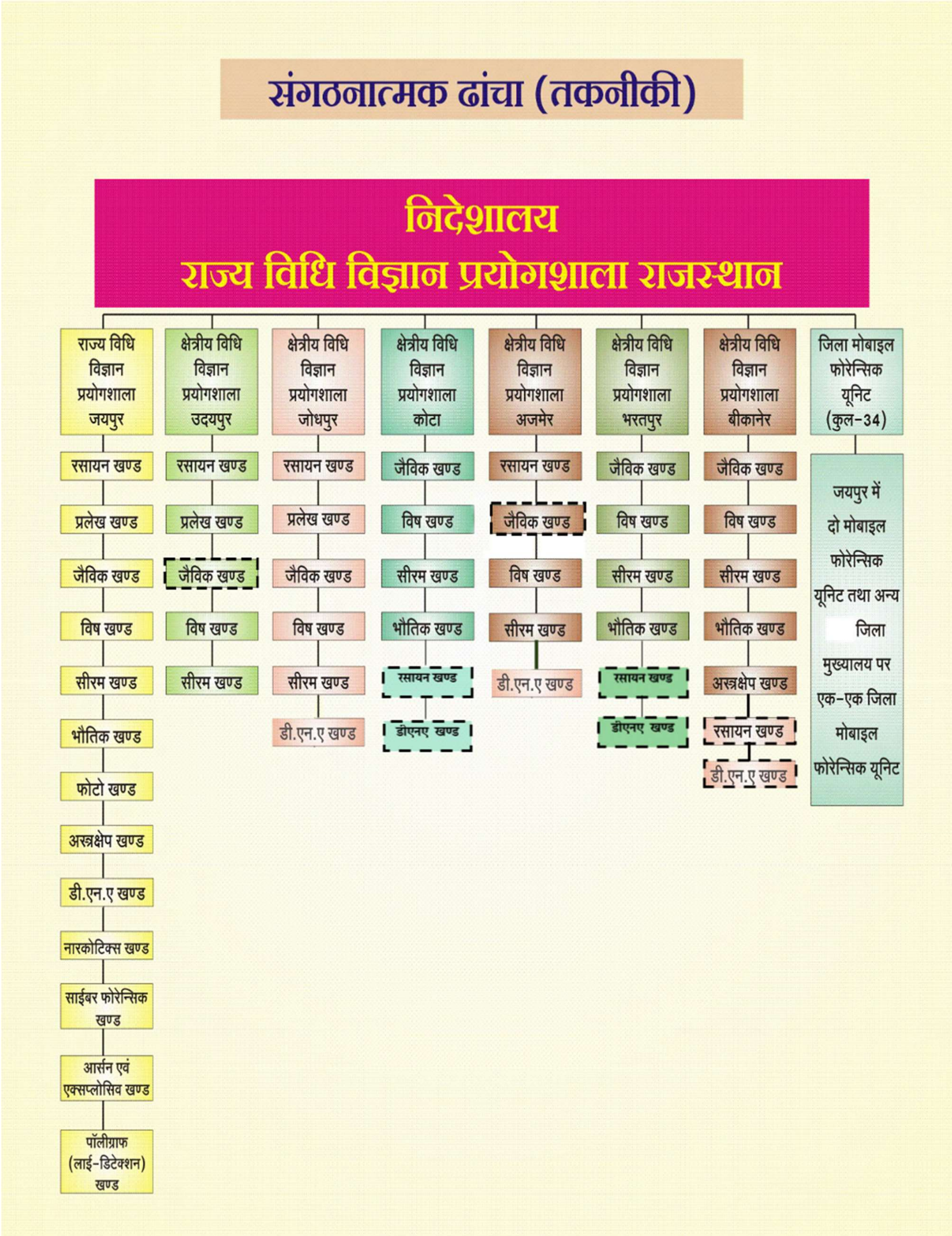
संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)
निदेशालय
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर
रसायन खण्ड
प्रलेख खण्ड
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
फोटो खण्ड
अस्त्रक्षेप खण्ड
डी.एन.ए खण्ड
नारकोटिक्स खण्ड
साईबर फोरेन्सिक खण्ड
आर्सन एवं एक्सप्लोसिव खण्ड
पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्शन) खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर
रसायन खण्ड
प्रलेख खण्ड
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर
रसायन खण्ड
प्रलेख खण्ड
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
डी.एन.ए खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
रसायन खण्ड
डीएनए खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर
रसायन खण्ड
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
डी.एन.ए खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
रसायन खण्ड
डीएनए खण्ड
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर
जैविक खण्ड
विष खण्ड
सीरम खण्ड
भौतिक खण्ड
अस्त्रक्षेप खण्ड
रसायन खण्ड
डी.एन.ए खण्ड
जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट (कुल-34)
जयपुर में दो मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट तथा अन्य जिला मुख्यालय पर एक-एक जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट

राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31—12—2024 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	171	78	93
2.	तकनीकी कर्मचारी	383	193	190
	कुल योग	**554**	**271**	**283**

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	01	—
2.	अतिरिक्त निदेशक	07	05	02
3.	उप निदेशक	11	09	02
4.	सहायक निदेशक	50	34	16
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	102	29	73
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	59	34	25
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	118	71	47
8.	तकनीकी सहायक	01	—	01
9.	प्रयोगशाला सहायक	100	56	44
10.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	105	32	73
	कुल योग	**554**	**271**	**283**

मंत्रालयिक, लेखा संवर्ग एवं अन्य

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	01	—
2.	सहायक लेखाधिकारी—I	01	01	—
3.	सहायक लेखाधिकारी—II	01	01	—
4.	कनिष्ठ लेखाकार	07	05	02
5.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	—
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	02	02	—
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	04	01
8.	निजी सहायक—I	01	—	01
9.	निजी सहायक—II	02	02	—
10.	सूचना सहायक	08	—	08
11.	वरिष्ठ सहायक	08	08	—
12.	कनिष्ठ सहायक	14	12	02
13.	दफ्तरी	01	01	—
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	17	03
15.	स्वीपर	06	05	01
16.	विसरा कटर	01	—	01
17.	प्रयोगशाला कर्मचारी	09	07	02
18.	कानि0 ड्राईवर	14	13	01
19.	चालक	03	—	03
	कुल योग	**105**	**80**	**25**

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(31–12–2024 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2024–25 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	शीर्षक	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	संवेतन (01)	3300.00	3300.00	2339.42	960.58
2.	यात्रा व्यय (03)	28.00	15.00	7.30	7.70
3.	चिकित्सा व्यय (04)	0.01	0.01	0.00	0.01
4.	कार्यालय व्यय (05)	60.00	50.00	34.23	15.77
5.	वाहन क्रय (06)	0.01	0.01	0.00	0.01
6.	वाहनों का संचालन एवं संधारण (07)	10.00	12.00	4.61	7.39
7.	किराया, रेट और कर/रोयल्टी (09)	14.37	14.37	9.54	4.83
8.	लघु निर्माण कार्य (16)	10.00	9.62	0.00	9.62
9.	मशीनरी और साजो सामान/औजार एवं संयंत्र नवीन उपकरण व्यय (18)	1200.00	2180.00	1164.64	1015.36
10.	विद्युत व्यय (19)	66.00	75.00	60.74	14.26
11.	अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय (21)	190.00	271.50	52.03	219.47
12.	प्रशिक्षण (29)	2.00	2.00	0.46	1.54
13.	वाहन किराया (36)	10.00	0.01	0.00	0.01
14.	वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं व्यय (37)	1.60	1.60	1.37	0.23
15.	संविदा तथा अन्य सुविधाएं व्यय (41)	110.00	121.00	75.21	45.79
16.	कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (62)	0.01	0.01	0.00	0.01
	कुल योग	**5002**	**6052.13**	**3749.55**	**2302.58**

(ब) वर्ष 2024–25 आयोजना बजट मद (राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	बृहद निर्माण कार्य (17)(100% राज्य अंश)	1200.00	1667.58	1045.47	622.11
2.	मशीनीकरण और साज सामान/औजार एवं संयंत्र (18) (नवीन उपकरण) पुलिस आधुनिकीकरण योजना (60% केन्द्रीय अंश एवं 40% राज्य अंश)	0.01	0.01	Nil	0.01
3.	मशीनीकरण और साज सामान/औजार एवं संयंत्र (18) (नवीन उपकरण)(100% राज्य अंश)	0.01	0.01	Nil	0.01
4.	नाकोड योजना (18)(100% केन्द्रीय अंश)	0.01	0.01	Nil	0.01
5.	मैन पावर सेवा (41))(100% राज्य अंश)	372.00	427.50	283.42	144.08
	योग	**1572.03**	**2192.29**	**1328.89**	**766.22**

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

State Forensic Science Laboratory Rajasthan

Case Statistics from 01-01-2024 to 31-12-2024

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDENCY AS ON 1ST JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTALN0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDENCY AS ON 31ST December
1.	2020	14141	39679	53820	38080	15740
2.	2021	15740	45864	61604	42078	19526
3.	2022	19526	49933	69459	42039	27266
4.	2023	27266	56294	83560	44553	39007
5.	2024	39007	48681	87688	50839	36840

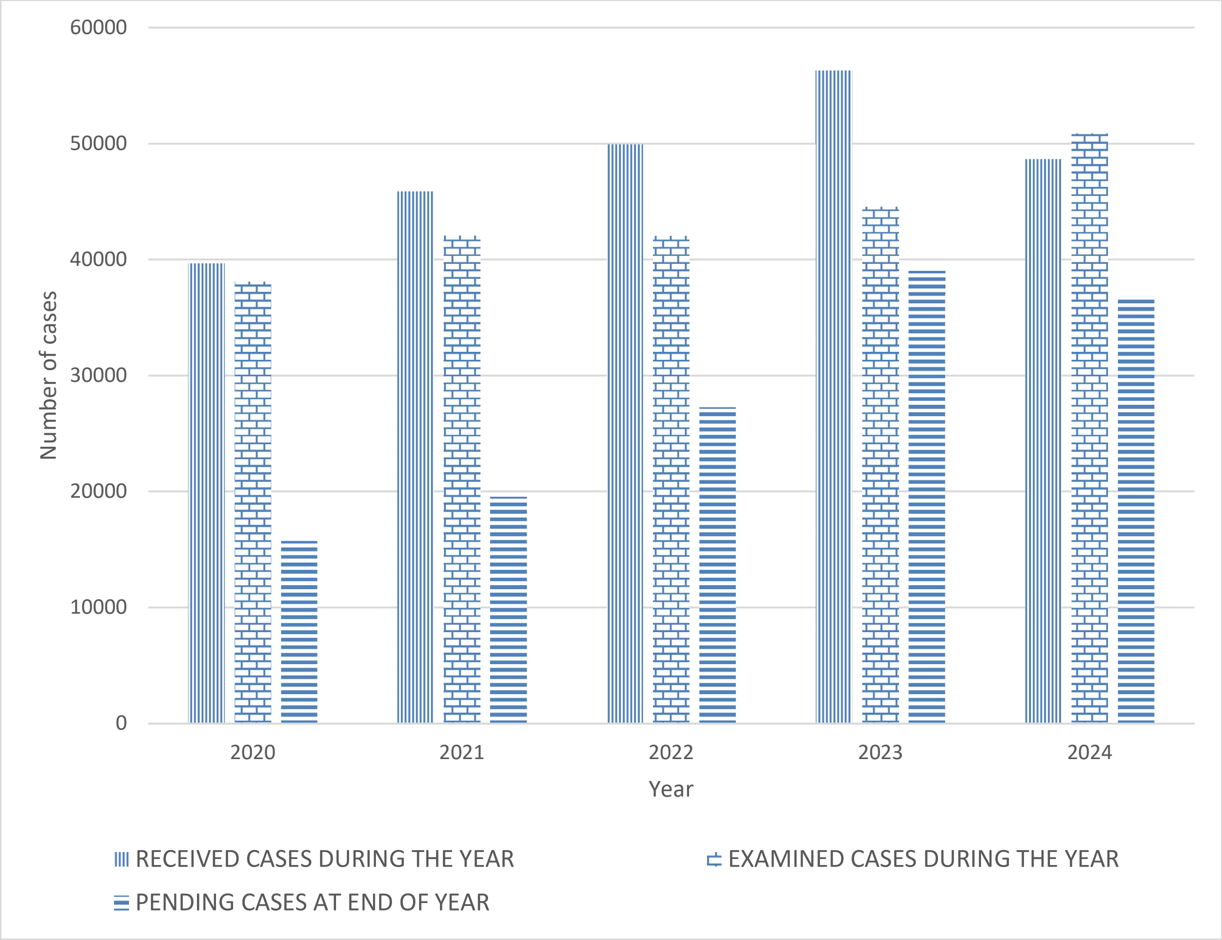

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	PENDING CASES ON 01-01-2024	RECEIVED CASES IN 2024	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASESON 31-12-2024
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	27177	24097	51274	23959	150280	27315
2.	RFSL Jodhpur	3794	9021	12815	10067	58565	2748
3.	RFSL Udaipur	4662	5580	10242	7705	33006	2528
4.	RFSL Kota	956	2121	3077	1863	7595	1214
5.	RFSL Bikaner	1226	1873	3099	1569	8630	1530
6.	RFSL Ajmer	1096	5076	6172	4824	19865	1348
7.	RFSL Bharatpur	96	913	1009	852	4597	157
	Grand Total :	**39007**	**48681**	**87688**	**50839**	**282538**	**36840**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 2837

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Rajasthan:-

S.NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2024	RECEIVED CASES IN 2024	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2024
					CASES	EXHIBITS	
1.	Documents Division	120	1118	1238	928	85032	310
2.	Chemistry Division	10729	18657	29386	27677	56677	1709
3.	Arson & Explosive	111	142	253	144	343	109
4.	Narcotics Division	1311	3283	4594	2876	6707	1718
5.	Biology Division	34	955	989	910	1986	79
6.	Physics Division	559	1313	1872	1205	3676	667
7.	Polygraph Division	5	9	14	11	29	3
8.	Cyber Division	3675	1600	5275	404	2182	4871
9.	Ballistics Division	154	368	522	432	3231	90
10.	Toxicology Division	4454	10075	14529	8920	55952	5600
11.	Serology Division	377	1857	2234	1855	8381	379
12.	DNA Division	17509	8951	26460	5259	38869	21201
13.	Photo Division	48	353	401	218	19473	183
	Total	**39007**	**48681**	**87688**	**50839**	**282538**	**36840**

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये महत्त्वपूर्ण प्रकरण

साईबर फोरेन्सिक प्रकरण :–

1. <u>अश्लील पिक्चर फाईल को एडिट करने संबंधित पोक्सो प्रकरण</u> :–
   प्रकरण संख्या– 103/2023, धाराः– 376 आईपीसी, 3/4 पोक्सो एक्ट एवं 66 ई, 67, 67 बी आईटी एक्ट, थाना– बगड़, जिला– झुन्झुनू से संबंधित प्रकरण में आरोपी से जब्त मोबाईल फोन से वायरल अश्लील पिक्चर फाईल में एडिटिंग किये जाने संबंधित साक्ष्य की रिकवरी की जाकर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।
2. <u>भर्ती परीक्षा में नकल में प्रयुक्त ईलेक्ट्रोनिक डिवाईस का परीक्षण</u> :–
   प्रकरण संख्या– 692/2022, धाराः– 420, 120बी आईपीसी व 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, थाना– अम्बामाता, जिला– उदयपुर से संबंधित प्रकरण में वनरक्षक/वनपाल भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी से जब्त ईलेक्ट्रोनिक डिवाईस का परीक्षण किया जाकर उक्त डिवाईस से नेटवर्क कॉलिंग द्वारा नकल की जाने संबंधित जारी एफएसएल रिपोर्ट के माध्यम से प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।
3. <u>पुलिस मुख्यालय जयपुर की एक शाखा की ई–मेल आईडी हैक करने संबंधित प्रकरण</u> :–
   प्रकरण संख्या– 129/2024, धाराः– 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी व 43/66, 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट, थाना– विशेष अपराध एवं साईबर क्राईम, जिला– आयुक्तालय जयपुर से संबंधित प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से पुलिस मुख्यालय जयपुर की एक शाखा की ई–मेल आईडी हैक कर गैरकानूनी रूप से सीडीआर, आईपीडीआर, बैंक खातों के स्टेटमेंट तथा अन्य पेमेंट गैटवे के स्क्रीनशॉट के साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।
4. <u>बहुचर्चित मानव अंग प्रत्यारोपण से संबंधित प्रकरण</u> :–
   प्रकरण संख्या– 54/2024, 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468 व 120बी आईपीसी, एसीबी जयपुर के बहुचर्चित मानव अंग प्रत्यारोपण संबंधित प्रकरण में आरोपी डॉक्टर से जब्त मोबाईल फोन से संदिग्ध मोबाईल नम्बरों पर आपस में किये गये वॉट्सऐप चैट, वॉट्सऐप पर भेजे गये मरिजों की डिटेल्स, पैसों के हिसाब संबंधित दस्तावेज, पैमेंट स्क्रीनशॉट आदि के साक्ष्य रिकवर/उपलब्ध करवाकर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।
5. <u>बहुचर्चित नाबालिक दुष्कर्म तथा ब्लैकमैलिंग संबंधित पोक्सो प्रकरण में</u> :–
   प्रकरण संख्या– 276/2024, धाराः– 354, 384, 385, 376(3), 376(2)(एन), 376डी, 450, 120बी आईपीसी एवं 5जी, 5एल/6 पोक्सो एक्ट, थाना– क्रिश्चियनगंज, जिला– अजमेर बहुचर्चित नाबालिक दुष्कर्म तथा ब्लैकमैलिंग प्रकरण में आरोपियों तथा पिड़िता से जब्त मोबाईल फोनों से आपस में इन्स्टाग्राम मैसेज, ब्लैकमेलिंग मैसेज व अश्लील फोटोग्राफ आदि से संबंधित साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।
6. <u>महिला की हत्या के लिए सुपारी दिये जाने संबधित प्रकरण</u> :–
   प्रकरण संख्या– 310/2023, धाराः– 302, 120बी आईपीसी, थाना– नदबई, जिला– भरतपुर से संबंधित प्रकरण में विधवा महिला का परिवार के साथ प्रोपर्टी विवाद के कारण महिला की अनुबंधित हत्यारों द्वारा गोली मारकर हत्या संबंधित प्रकरण में परिवार के सदस्य तथा हत्यारों से जब्त मोबाईल फोनों से आपस में वॉट्सऐप मैसेज, एसएमएस मैसेज तथा मर्डर से पूर्व महिला की फोटो भेजने संबंधित साक्ष्यों की रिकवरी कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।
7. <u>हनीट्रेप प्रकरण में आरोपी महिला के मोबाईल से साक्ष्य की रिकवरी</u> :–
   थाना–प्रागपुरा, कोटपुतली बहरोड़ से संबंधित अपराध संख्या 47/2024 धारा 323, 342, 386, 328, 387 भा.द.स. के अन्तर्गत आरोपी महिला द्वारा हनीट्रेप प्रकरण में ब्लेकमेलिंग करने के लिए पुरूष के अश्लील पिक्चर खीचने सम्बन्धित प्रकरण में जप्त मोबाईल फोन से अश्लील पिक्चर रिकवर कर अश्लील पिक्चर के उसी मोबाईल से खिंचे जाने तथा मूल पिक्चर संबंधित राय उपलब्ध करवा कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

8. **अपहरण प्रकरण में वर्चुअल नम्बर का प्रयोग करने संबंधित साक्ष्य की रिकवरी** :—
थाना—खांडा फालसा, जोधपुर पूर्व से संबंधित अपराध संख्या 44/2021 धारा 363, 201, 302, 364ए, 368 भा.द.स. के अन्तर्गत आरोपियों द्वारा बच्चे का अपहरण कर वर्चुअल नम्बर से अपनी पहचान छुपाकर फिरोती मांगने संबंधी प्रकरण मे जब्त मोबाइलों से 'हश्ड' एप्लीकेशन के माध्यम से वर्चुअल नम्बर जनरेट करने संबंधी साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

9. **मर्डर प्रकरण में मोबाइल के यूटयूब एप्लीकेशन सर्च से मर्डर संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी** :—
थाना—सागवाडा, डूँगरपुर से संबंधित अपराध संख्या 199/2023 धारा 302, 201, 34 भा.द.स. के अन्तर्गत मर्डर प्ररकरण मे आरोपी द्वारा मोबाइल फोन से मर्डर संबंधी तथ्य, न्यूज व अन्य जानकारी प्राप्त करने से संबंधित सर्च कंटेन्ट युटयूब एप्लीकेशन से रिकवर कर प्रकरण में मोबाईल डिवाईस प्रयोग में लिए जाने संबंधित साक्ष्य उपलब्ध करवाकर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

10. **मोबाईल फोन से एन्क्रीप्टेड डाटा को डिक्रीपट कर पोक्सो प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट** :—
थाना—महिला थाना, जिला— करौली, द्वारा प्रकरण 276/2022 धारा 363, 366ए. 376 डी, 376(2)(एन) भा.द.स. एवं 5/6, 16/17 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मुल्जिम से जब्त मोबाईल फोन में आरोपी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पीड़िता के पिक्चर को मोबाईल के हिडन एप्लीकेशन के माध्यम से एन्क्रीप्टेड यूजर पार्टिशन में छुपाई गई थी। उन पिक्चर फाईलों को उक्त मोबाईल फोन से रिकवर करने पश्चात् इन फाईलों के डिक्रिप्शन हेतु डवलप की गई पायथन स्क्रीप्ट को मोबाईल फोन फोरेंसिक सॉफ्टवेयर में रन करवाकर उक्त फाईलों को डिक्रिप्ट किया जाकर पिक्चर फाईल्स के मोबाईल द्वारा खिंचे जाने सम्बन्धित राय प्रदान की गई। जिससे प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

11. **फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाने के प्रकरण में मोबाईलों से महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकवरी** :—
थाना—सिविल लाईन, अजमेर, एसओजी, राज0 अपराध संख्या 101/24 धारा 3/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 419, 420, 466, 468, 471, 120बी आईपीसी के अन्तर्गत फर्जी डिग्री प्रस्तुत कर प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा में नियुक्ति पाने संबंधित प्रकरण में मोबाइल से प्रकरण संबंधित फर्जी पत्र, मार्कशीट तथा मैसेज आदि साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

12. **वैबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मोबाईल नम्बर से षडयंत्र कर तथा फंसाकर बदनाम करने की धमकी संबंधित प्रकरण** :—
थाना—प्रताप नगर, उदयपुर अपराध संख्या 657/23 धारा 420, 366 भादस., 67 आईटी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत वैबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मोबाईल नम्बर से षडयंत्र कर वाट्सएप पर लडकियों की पिक्चर भेजकर तथा फंसाकर बदनाम करने की धमकी देकर रूपये ऐंठने के प्रकरण में आरोपियो तथा संबंधितो से जब्त मोबाईल फोनो से महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कॉल लॉग, वाट्सएप मैसेज तथा लडकियो के फोटोज उपलब्ध करवाकर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान कर योगदान दिया।

13. **इंटरनेट प्रोटोकॉल से स्पूफ कॉल करने से संबधित प्रकरण** :—
थाना—कोतवाली, अजमेर अपराध संख्या 153/23 धारा 170, 465, 468, 120 भादस. के अन्तर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल से स्पूफ कॉल करने से संबधित प्रकरण में जब्त लैपटॉप व मोबाईल फोनो से स्पूफ कॉल करने से संबधित एप्लीकेशन इंडीकॉल एवं टरबो वीपीएन डॉउनलोड करने तथा मिथ्या इलेक्ट्रोनिक अभिलेख संबंधित साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

14. **पीएचईडी विभाग में भ्रटाचार एवं रिश्वत प्रकरण** :—
थाना—एसीबी, एसीबी इंटेलीजेंस जयपुर अपराध संख्या 215/23 धारा 7, 7ए, 8पीसी एक्ट 2018 एवं 120बी आईपीसी के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, बिलो के भुगतान व कार्यों के अनियमिताओ के लिए आरोपियो तथा संबंधित लोक सेवको को रिश्वत राशि संबंधित प्रकरण में जब्त मोबाईल फोनो से प्रकरण संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे वाट्सएप मैसेज, डॉक्यूमेंट तथा पिक्चर फाईल्स आदि साक्ष्य प्रदान कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

15. कारागृह से गैंगस्टर के जब्त क्षतिग्रस्त मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :–

प्रकरण संख्या–182/20, धारा–42 कारागार अधि0 राज0 संशोधन विधेयक 2015, थाना–सेवर, जिला–भरतपुर से संबंधित प्रकरण में भरतपुर कारागृह से बहुचर्चित गैंगस्टर की बैरक से जब्त बुरी तरह क्षतिग्रस्त मोबाईल फोनों से भी फॉरेंसिक विधि से कान्टैक्ट नंबर, व्हाट्सप्प कॉल, व्हाट्सप्प मैसेज, एसएमएस, पिक्चर फाइल, ऑडियो फाइल आदि रिकवर कर कारागृह में मोबाइल रखने के साक्ष्य प्रकरण में प्रदान किये।

16. पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोपियों को कोर्ट पेशी पर ले जाते समय टोल प्लाजा पर फायरिंग कर हत्या संबंधी प्रकरण :–

प्रकरण संख्या–218/23 , धारा–147, 148, 149, 307, 302 तथा 120बी आईपीसी एक्ट, थाना–हलैना, जिला–भरतपुर से संबंधित प्रकरण में पुलिस कस्टडी मे सरकारी बस से मुलजिमों को तारीख पेशी पर ले जाते समय हथियारबंद बदमाशों के द्वारा टोल प्लाज़ा पर मुलजिमों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसमे घटनास्थल से जब्त एनवीआर से सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर वीडियो फुटेज की ऑथेंटिकेशन एवं टेंपरिंग से सम्बंधित राय प्रदान कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

17. टैक्सी ड्राईवर की हत्या कर टैक्सी चोरी प्रकरण में जब्त मोबाईलो से महत्वपूर्ण साक्ष्य की रिकवरी :–

प्रकरण संख्या–474/23 ,धारा–302, 201, 202, 212, 392 तथा 120बी आईपीसी एक्ट, थाना–महेश नगर, जिला–जयपुर (दक्षिण) से संबंधित प्रकरण में टैक्सी बुक कर टैक्सी ड्राइवर की रास्ते में हत्या कर टैक्सी चोरी कर ले जाने संबंधित प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनो से रिकवर फोटो व विडियो से टैक्सी की पहचान करने से संबंधित साक्ष्य प्रदान कर प्रकरण को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की।

18. हनीट्रेप सम्बंधित जासूसी प्रकरण में जब्त मोबाईल से महत्वपूर्ण साक्ष्यो की रिकवरी :–

प्रकरण संख्या–06/22, धारा–3, 9 शासकीय गुप्त बात अधि0 1923, थाना– स्पेशल पुलिस स्टेशन, सी0आई0डी0 (सुरक्षा) से संबंधित प्रकरण में सेना में पदस्थापित जवान से जब्त मोबाईल फोन से हनीट्रैप के मामले में सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाये, दस्तावेज एवं युद्धाभ्यास से सम्बंधित फोटो वीडियो आदि पाक महिला हैन्डलर को उपलब्ध करवाए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

डी.एन.ए. एवं जैविक प्रकरण :–

1. बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप हुआ गलत सिद्ध :–

प्र.सं 107/24, थाना – अजमेर , जिला जीआरपी अजमेर में मध्यप्रदेश से दरगाह जियारत के लिए परिवार के साथ आई 11 वर्षीय बच्ची को मध्यप्रदेश वापसी से पहले रेल्वे प्लेटफार्म पर सोती हुई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उठाकर ले जाना दुष्कर्म करके यार्ड में खड़ी ट्रेन में घायल अवस्था में छोड़ना बताया गया। चर्चित प्रकरण में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर के पीड़िता व आरोपी के सैम्पल्स डीएनए परीक्षण हेतु भिजवाये गये। पीड़ीता के बॉडी सैम्पल्स, कपड़े, टूटी हुई चूड़ी आदि पर पुरूष का डीएनए पाया गया। कितु उपरोक्त का मिलान आरोपी के डीएनए से होना नहीं पाया गया। पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान में मध्यप्रदेश के 13 ऐसे व्यक्तियों पर संदेह किया गया जिनका डीएनए परीक्षण मध्यप्रदेश के थाना जावरा, जिला रतलाम के एक पोक्सो प्रकरण में नामजद होने के कारण मध्यप्रदेश एफ.एस.एल के द्वारा किया जा चुका था। उपरोक्त सभी आरोपियों की उपलब्ध कराई गई परीक्षण रिपोर्ट में इस प्रयोगशाला से भिन्न रासायनिक किट द्वारा डीएनए प्रोफाईल तैयार की गई थी। अजमेर के रहने वाले तीन अन्य संदिग्ध आरोपियों के सैम्पल भी भिजवाये गये किंतु किसी भी आरोपी से पीड़िता के प्रादर्शो पर मिले डीएनए का मिलान नहीं होने का निष्कर्ष दिया गया। इस प्रकरण के परीक्षण परीणामों द्वारा संदिग्ध आरोपियों के हित में निष्कर्षो से न्याय के सिद्वांत का पालन हुआ।

2. महिला द्वारा अपने बच्चे की हत्या संबंधी प्रकरण :–

मु.सं 424/2023, थाना – नसीराबाद सदर, हत्या के इस दुर्लभ एवं चर्चित प्रकरण में महिला ने अपने प्रेमीं के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक अपने ही दस वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतार

दिया। उपरोक्त प्रकरण में घटनास्थल से उचित व महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर मृतक एवं आरोपियों के कपड़ो ,हथियार के रूप में मिले पत्थर एवं बच्चे को बांधने में प्रयुक्त रस्सी व घटनास्थल की मिट्टी आदि पर डीएनए परीक्षण करके दोनों आरोपी एवं मृतक के डीएनए का प्रादर्शो पर परस्पर मिलान दिया गया जो कि घिनौने चरित्र वाले आरोपियों को सजा दिलाने में सहायक है।

3. <u>5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म संबंधी प्रकरण</u> :—
   मु.सं 586/2023 थाना – निवाई के प्रकरण मे 5 वर्षीय बच्ची को पारिवारिक समारोह से मकान की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। प्रकरण में पीड़ित बालिका के बॉडी सैम्पल्स , पीड़ीता व आरोपी के कपड़े, घटनास्थल से लिये गये आरोपी का पान का पीक, रेत, आदि मे डीएनए परीक्षण करके आरोपी एवं पीड़ीता के डीएनए का प्रादर्शो पर परस्पर मिलान देकर पीड़ीता को न्याय में सहयोग किया।
4. <u>भाई—बहन से दुष्कर्म संबंधी प्रकरण</u> :—
   प्र.सं 142/24, थाना अलवरगेट ,अजमेर में 11 वर्षीय बच्चा एवं 7 वर्षीय बच्ची (दोनों भाई—बहिन) के साथ 57 वर्षीय पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन प्रताड़ना करके उनका वीडियो आदि बनाया गया। इस प्रकरण में पीड़ित भाई—बहिन आरोपी के बॉडी सैम्पल्स, कपड़े व घटनास्थल आरोपी के कमरे से जब्त बेडशीट आदि डीएनए परीक्षण करके दोनों आरोपी एवं मृतक के डीएनए का प्रादर्शो पर परस्पर मिलान देकर न्याय प्रक्रिया मे सहयोग किया।
5. <u>फर्जी दस्तावेज के आधार पर मामा भान्जा बनकर किडनी रैकेट के प्रकरण में एफएसएल राजस्थान ने पहली बार माइटोकॉण्ड्रियल डीएनए सिक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग कर किडनी रैकेट का खुलासा किया</u> :—
   पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व में प्रकरण संख्या 319/24 में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर किडनी रैकेट से जुडा प्रकरण दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में मामा भान्जा के जैविक संबंध को दर्शाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत कर किडनी का सौदा का अंग प्रत्यारोपण किया गया। शिकायत हुई कि किडनी दान करने वाला एवं प्राप्त करने वाला आपस में मामा भान्जा नहीं है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी है। इस बाबत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पारम्परिक डीएनए तकनीक से मामा भान्जा का जैविक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता था अतः प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान एफएसएल के डीएनए वैज्ञानिकों ने पहली बार परम्परागत डीएनए परीक्षण से हटकर माइटोकॉण्ड्रियल डीएनए सिक्वेसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए इस किडनी रैकेट के प्रकरण में किडनी दान करने वाला एवं प्राप्त करने वाला आपस में मामा भान्जा नही हैं, साबित किया।
6. <u>अपनी 7 वर्ष की बेटी के प्राइवेट पार्ट को चोट पहुँचाकर पिता द्वारा अपने ही संबन्धियों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, एफएसएल डीएनए रिपोर्ट से खुलासा</u> :—
   पुलिस थाना घमूड़वाली, श्रीगंगानगर में प्रकरण संख्या 74/24 में मां व 7 वर्षीय पुत्री के साथ सामुहिक दुष्कर्म से संबंधित प्रकरण दर्ज हुआ। जिसमे मां, बेटी व चार आरोपियों के प्रादर्श डीएनए परीक्षणार्थ जमा हुए। डीएनए परीक्षण से मां व बेटी के प्रादर्शों पर पाये गये सीमन का मिलान किसी भी आरोपी के कन्ट्रोल रक्त सेम्पल से नही हुआ। तत्पश्चात् अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में एक अन्य आरोपी एवं 7 वर्षीय पीड़िता के पिता के कन्ट्रोल रक्त सेम्पल प्रयोगशाला में प्राप्त हुए। जिनके डीएनए परीक्षण से मां व बेटी के प्रादर्शों पर पाये गये सीमन का मिलान पीड़िता के पिता से हुआ जिसके आधार पर वास्तविक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया।
7. **फोरेन्सिक एन्टोमोलोजी से मृत्यु का समयान्तराल (पोस्ट मार्टम इन्टरवल) बताया गया** :—
   पुलिस थाना कोतवाली दौसा में प्रकरण संख्या 457/24 में मृत्यु उपरांत दफनाये गये शव को निकालकर पोस्टमार्टम से प्राप्त कीटों को मृत्यु का समयान्तराल की जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा करवा गया। जैविक खण्ड के वैज्ञानिको ने भेजे गये कीटों की अवस्था/जीवनचक्र का अध्ययन कर कीट की उम्र की पहचान कर मृतक की मृत्यु का सम्भावित समयान्तराल बताया गया।

<u>विष प्रकरण</u> :—

1. <u>हाथियों के मृत्यु प्रकरण में विसरा व **Feed Material** में आर्सेनिक जहर की उपस्थिति</u> :—
   उपवनसंरक्षक, वन्यजीव अभयारण्य, जयपुर से प्राप्त प्रकरण में हाथियों के विसरा प्रादर्शों व

Feed Material में आर्सेनिक जहर की उपस्थिति पायी गई। इसी प्रकरण में अनुसंधान के दौरान मुकदमा नम्बर 408/2023, पुलिस थाना – आमेर, जिला – जयपुर (उत्तर) में आरोपी से प्राप्त किये गये Feed Material में भी पूर्व परिणामों की पुनरावृति हुई।

2. <u>मारपीट के संदिग्ध प्रकरण में साँप के जहर की पुष्टि:–</u>
मुकदमा नम्बर 298/2023, पुलिस थाना – मुण्डावर, जिला – भिवाड़ी, के प्रकरण में 30 वर्षीय महिला के दहेज प्रताड़ना व मारपीट के प्रकरण में साँप के जहर की पुष्टि हुई। जिससे अनुसंधान को एक नई दिशा प्राप्त हुई।

3. <u>मारपीट के संदिग्ध प्रकरण में जहर की उपस्थिति :–</u>
मुकदमा नम्बर 04/2024 पुलिस थाना बबाई जिला – नीम का थाना के प्रकरण में 32 वर्षीय महिला के मारपीट के संदिग्ध प्रकरण में प्राप्त विसरा प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षण उपरान्त एल्यूमीनियम फास्फॉईड जहर की उपस्थिति पायी गयी, जिसने अनुसंधान में सहायता प्रदान की।

4. <u>रेव पार्टियों में **Snake Venom** का प्रयोग की पुष्टि :–</u>
मुकदमा नम्बर 461/2023, थाना नोएडा सेक्टर –49, जिला कमिशनरेट गौतम बुद्ध नगर – उत्तर प्रदेश के अन्तगर्त दर्ज प्रकरण में रेव पार्टियों में Snake Venom व नशीले पदार्थों का उपयोग/सेवन से सम्बन्धित जब्त प्रादर्श में Antibody of Snake Venom की पुष्टि FSL द्वारा की गई जो कि रेव पार्टियों में नशे हेतु Snake Venom के दुरूपयोग (Misuse) को इंगित करता है।

5. <u>हत्या के प्रकरण में जहर के साथ नशीली दवा के प्रयोग की पुष्टि :–</u>
मुकदमा नम्बर 578/2024, थाना सांगानेर सदर जिला पुलिस उपायुक्त–जयपुर (दक्षिण), के अन्तर्गत पिता द्वारा आरोपियों पर उसके पुत्र को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया गया, जिससे एफएसएल में प्राप्त प्रादर्शों में विष अनुभाग द्वारा जहर (एल्युमिनियम फॉस्फाईड) एवम् नशीली दवा Morphine alkaloid व फेनिरामिन–दवा की पुष्टि हुई जो की जहर के साथ नशीली दवाओं के प्रयोग को दर्शाता है।

6. <u>युवती को मारकर लटकाने के संदिग्ध प्रकरण में जहर की पुष्टि :–</u>
मुकदमा नम्बर 355/2024, थाना उदयपुर वाटी जिला नीम का थाना, में युवती की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु जिसकी PMR में Antimortem Hanging से मौत होना संभावित बताया, में FSL में प्राप्त प्रादर्शों में विष अनुभाग द्वारा रासायनिक परीक्षणोपरान्त एल्युमिनियम फॉस्फाईड जहर की उपस्थिति ने अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान की।

7. <u>घर के सदस्यों की रहस्यमयी मौत व आग लगने संबंधी प्रकरण</u> :–
मुकदमा सं. 77 दिनांक 24.03.2024 धारा 302 भा. द.स. पुलिस थाना– हमीरवास, जिला– चुरू में तीन प्राकृतिक मृत्यु एक के बाद एक होने से अंधविश्वास फैलने की घटना में तीसरी मृत्यु के उपरान्त घटनास्थल निरीक्षण तथा दफनाये हुए चार वर्षीय बालक के विसरा सेम्पल की विष अनुभाग में परीक्षण किये जाने पर बारबीच्युरेट दवाई की उपस्थिति तथा घर में आग लगने वाले स्थान पर सोडियम तत्व की उपस्थिति का रसायन अनुभाग में सकारात्मक परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदान की गई, जिसमें अनुसंधान को दिशा प्रदान की।

8. <u>हत्या के प्रकरण को एक्सीडेंट का रूप देने संबंधी प्रकरण</u> :–
मुकदमा सं. 06 दिनांक 19.01.2024 धारा 498ए, 302, 201 भा.द.स. पुलिस थाना– जैतपुर, जिला – पाली में पति द्वारा अवैध संबध के चलते पत्नी को जहर देकर हत्या कर कार में डालकर जला दिया तथा एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया। मृतका के विसरा सैम्पल में विष संबंधी जांच में सोडियम नाईट्राईट की उपस्थिति पायी गयी, जो कि रंगाई–छपाई में काम आने वाला रसायन है, जिससे अनुसंधान को सही दिशा मिली व एक्सीडेंट की जगह हत्या में तब्दील होकर दोषी की पहचान हो सकी।

9. <u>सिपाही की रहस्यमयी मृत्यु संबंधी प्रकरण</u> :–
मुकदमा संख्या 03, दिनांक 17.01.2024, धारा 174 सी. आर. पी. सी. थाना–रातानाडा जिला–जोधपुर पूर्व में उदयपुर में पदस्थापित सिपाही का शव धर्मशाला के कमरे में संदिग्ध हालात में मिला, जिसमें प्रिजर्व विसरा का परीक्षण करने पर मॉर्फीन एल्केलॉइड व बेंजोडायाजेपीन

ट्रक्युंलाईजिंग दवा की उपस्थिति पाई गई, जिससे अनुसंधान को दिशा मिल सकी।

10. **मछलियों की अचानक मृत्यु संबंधी प्रकरण** :–
परिवाद संख्या 2400095 दिनांक 26.07.2024, पुलिस थाना–सिद्वमुख, जिला– चुरू में दो भाईयों के बीच झगडा होने से दूसरे भाई के खेत में बने मछली फार्म हाउस में 3 से 4 टन मछलियां मरने पर परिवाद दर्ज हुआ। घटनास्थल से मरी हुई मछलिया व टांके के पानी का सेम्पल जांच हेतु जमा हुआ। उपरोक्त प्रादर्शो में परीक्षण करने पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक की उपस्थिति पाई गई। जिससे परिवाद मुकदमे में तब्दील होकर दोषी तक पंहुचा जा सका।

11. **अस्पताल महिला कर्मचारी की आत्महत्या का प्रकरण** :–
मुकदमा संख्या 94, दिनांक 18.08.2024, धारा 74, 75(2), 78(2), 351(2) बी.एन.एस तथा 3(1)(प) एस. सी. एस. टी. एक्ट, पुलिस थाना–दुधवाखारा, जिला– चुरू में अस्पताल में काम करने वाली लडकी को स्टाफ द्वारा तंग करने पर जहर पीने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरीज के गेस्टीज लवाज में नए प्रकार के हर्बिसाईड एसीफ्लोरोफेन व क्लोडीनाफोप प्रोपाईगल की उपस्थिति पाई गई।

12. **संदिग्ध अवस्था में फाँसी लगाकर मौत के प्रकरण में Plant poision की पुष्टि** :–
पुलिस थाना– मंगरोप, जिला भीलवाडा, धारा 143,363,366,376D, 302 B IPC & 5(G)/6 POCSO Act प्रकरण में पीड़िता प्रोन पोजीशन में अचेत एवं संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर, परिजनों ने मृत्यु का कारण में संदेह जाहिर करने पर, उक्त दोनों प्रकरणों से संबंधित विसरा एवं अन्य प्रादर्शो को रासायनिक परीक्षण के लिए विष अनुभाग में जमा करवाया गया। रासायनिक परीक्षण पश्चात उक्त प्रादर्शो में Yellow oleander glycosides की उपस्थिति पाई गयी। इससे अनुसंधान एवं प्रकरण को उल्लेखनीय सहयोग मिला।

13. **मारपीट एवं षडयंत्र रचकर हत्या के सदिंग्ध प्रकरण में जहर की पुष्टि** :–
पुलिस थाना – सोप, जिला टोंक, धारा 189(2)ए 103(1),61(2)(A), BNS प्रकरण के अनुसार पीड़ित को बलात्कार के झूठे मुकदमे से परेशान करने पर संदिग्ध अवस्था में आरोपियो द्वारा मारपीट करने पर उसकी मौत होना बताया गया। संदेहास्पद मृत्यु के कारण उक्त प्रकरण में विष खण्ड में जमा विसरा प्रादर्शो में रासायनिक परीक्षण करने पर Aluminum Phosphide की उपस्थिति बताई गयी। जिससे अनुसंधान को उचित दिशा मिली।

14. **सिर पर चोट एवं फंदा लगने से मौत के प्रकरण में नशीलें पदार्थ की उपस्थिति** :–
पुलिस थाना– रामगंज, जिला अजमेर, धारा 302,201,147,149,120 ठ IPC प्रकरण में पीड़ित की अज्ञात हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर धारधार हथियारों व लकड़ी, लोहे के डंडों से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या करना बताया गया। PMR अनुसार सिर पर चोट व गले पर रस्सी का फदां लगने से मौत होना बताया गया। प्रकरण में हत्या में संदेह जाहिरत होने पर इससे संबंधित विसरा प्रादर्शो को प्रयोगशाला के विष खण्ड में जमा करवाया गया। तत्पश्चात प्राप्त प्रादर्शो में रासायनिक परीक्षण के द्वारा Barbiturates की उपस्थिति पाई गई। उक्त परीक्षण रिपोर्ट ने Missing Line की तरह कार्य किया।

प्रलेख प्रकरण :–

1. **एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में ट्रेनी एसआई के हस्ताक्षर व लिखावट के परीक्षण के संबंध में** :–
प्रकरण संख्या 10/2024, थाना–एसओजी जिला–जयपुर में संदिग्ध ट्रेनी एसआई के नमूना हस्ताक्षर व नमूना लिखावट प्राप्त करने में SOG, Raj., Jaipur को सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये SOG, Raj., Jaipur से प्राप्त पत्र के क्रम में श्रीमान् निदेशक एफएसएल, जयपुर के आदेश द्वारा गठित टीम द्वारा महत्तवपूर्ण वैज्ञानिक सहयोग प्रदान किया गया।
उक्त प्रकरण की 60 पत्रावलियों में हस्ताक्षर व लिखावट संबंधित परीक्षण प्राथमिकता पर कर परीक्षण रिपोर्ट SOG, Raj., Jaipur को प्रेषित कर अनुसंधान में महत्तवपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है।

2. **हत्या काण्ड प्रकरण** :–
थाना–NIA, जिला जयपुर के प्रकरण सं. RC-02/2023/NIA/JPR में सुखदेव सिंह गोगामेडी (श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय

अध्यक्ष) पर उनके आवास पर सशस्त्र फायरिंग कर हत्या कर दी गई । इस प्रकरण में अपराधी के मोबाइल से जब्त नक्शा प्रिंट–आउट पर अंकित लिखावट का परीक्षण कर अनुसंधान में महत्तवपूर्ण योगदान दिया।

3. **<u>फर्जी / कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से तस्करों के माध्यम से खरीद फरोख्त कर किडनी ट्रांसप्लांट प्रकरण</u>** :–
थाना–जवाहर सर्किल, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण संख्या 319/2024, थाना– एयरपोर्ट, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण संख्या 78/2024, थाना– एसएमएस हास्पिटल, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण संख्या 104/2024 में स्टेट आथराईजेशन कमेटी द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट हेतु जारी NOC हस्ताक्षर परीक्षण हेतु प्राप्त हुई । इन प्रकरणों के दस्तावेजों का परीक्षण कर अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।

4. **<u>जाली करेन्सी नोटों के प्रकरण</u>** :–
थाना–सांगानेर, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण सं. 656/2023 में रू. 200/– की 867 भारतीय मुद्रा (Currency Notes), थाना–कोतवाली, जिला अजमेर के प्रकरण सं. 119/2024 में रू. 500/– की 82 भारतीय मुद्रा (Currency Notes), थाना–मालवीय नगर, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण सं. 68/2024 में रू. 500/– की 225 भारतीय मुद्रा (Currency Notes), थाना–चिडावा, जिला झुंझुनु के प्रकरण सं. 502/2023 में रू. 500/– की 33 भारतीय मुद्रा (Currency Notes) व 200/– की 03 भारतीय मुद्रा (Currency Notes), थाना–प्रताप नगर, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण सं. 1217/2023 में रू. 100/– की 87 भारतीय मुद्रा (Currency Notes) व रू. 50/– की 374 भारतीय मुद्रा (Currency Notes) का परीक्षण कर इनके नकली/फर्जी होने के संबंध में महत्तवपूर्ण राय प्रदान की गई ।

5. **<u>चैक पर अंकित दिनांक में फेरबदल कर परीक्षण</u>** :–
थाना– बजाज नगर, जिला जयपुर (पूर्व) के प्रकरण संख्या–432/2023 में दो विवादित चैक प्राप्त हुए । इस चैक पर पूर्व में अंकित दिनांक में कांटछांट कर परिवर्तन किया गया था । प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरण VSC- 8000 की सहायता से इसकी पुष्टि कर अनुसंधान में महत्तपूर्ण राय प्रदान की गई ।

6. **<u>चैक पर अंकित लिखावट की स्याही का परीक्षण</u>** :–
थाना– महेश नगर, जिला जयपुर (दक्षिण) के प्रकरण संख्या–119/2023 में एक विवादित चैक पर अंकित लिखावट की स्याही का मिलान चाहा गया था । प्रयोगशाला के अत्याधुनिक उपकरण VSC-8000 की सहायता से इसकी पुष्टि की गई कि पूर्व में अंकित लिखावट के आगे अलग स्याही से लिखावट जोडी गई है ।

7. **<u>टाईप/प्रिंटेड इबारत के प्रिंटर के संबंध में परीक्षण</u>** :–
थाना–नयापुरा, जिला कोटा शहर के प्रकरण संख्या 237/2024 मे प्राप्त दस्तावेज की टाईपशुदा इबारत के प्रिंटर के संबंध में राय चाही गई, जिसका परीक्षण कर पुष्टि की गई की कुछ लाईने अलग प्रिंटर से प्रिंट की गई है।

8. **<u>भ्रष्टाचार संबंधित प्रकरण</u>** :–
थाना–CPS ACB, जिला बांरा कें प्रकरण संख्या 224/2023 में ट्रेप की कार्यवाही के दौरान एक डायरी जब्त की गई थी, जिसमें आरोपी के द्वारा लिखावट कर रिश्वत की मांग की गई । संदिग्ध डायरी में अंकित लिखावट का परीक्षण कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण राय प्रदान की गई।

9. **<u>कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर फैसले करने संबंधित प्रकरण</u>** :–
पुलिस अधीक्षक पाली थाना कोतवाली के प्रकरण संख्या 334/23 में रीडर ने कलेक्टर के हस्ताक्षर कर फैसले कर दिये, जिसमें हस्ताक्षरों का परीक्षण कर महत्वपुर्ण राय दी गई है।

<u>रसायन प्रकरण</u> :–

1. **<u>रसायनिक विश्लेषण से Diphenoxylate नशीले पदार्थ की पुष्टि</u>** :–
मु. न. 34/24 धारा 8/22 NDPS एक्ट थाना नागाणा जिला बाडमेर के अन्तर्गत संदिग्ध से 25.724 Kg पाउडर जब्त किया गया। उक्त पदार्थ के केमिकल व इन्स्ट्रूमेन्टल विश्लेषण करने पर इसमें NDPS ड्रग Diphenoxylate की उपस्थिति पाई गई।

2. <u>अज्ञात केमिकल द्वारा जलाये जाने की घटना में पॉलिमर की पुष्टि</u> :–

थाना– कठुमर, जिला– अलवर, प्रकरण सं. –207/2024ए धारा 326 एए 354 घ,504, 506, 457 आईपीसी अंतर्गत अज्ञात केमिकल डालकर जलाये जाने की घटना में पीड़िता के कपड़े व स्किन प्रादर्श के रूप में सामान्य अम्ल व क्षार की उपस्थिति संबंधी राय के साथ रासायनिक परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। उक्त प्रादर्शों में सामान्य अम्ल व क्षार की उपस्थिति नहीं पाई गई। उक्त प्रादर्शों का गहन परीक्षण करने पर प्रादर्शों में पॉलिसायनो एक्राइलेट (सुपर–ग्लू) की उपस्थिति संबधी पुष्टि खण्ड द्वारा की गई। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण यह पॉलिमर मानव चमड़ी को जलाने में सक्षम है। इस परीक्षण रिपोर्ट की सहायता से अनुसंधान अभिकरण को अपराधी को पकड़ने के लिए जांच का दायरा सूक्ष्म करने में मदद मिली।

3. <u>हथकड शराब संभावित प्रकरणों में साडियम क्लोरेट व सोडियम कार्बोनेट की पुष्टि</u> :–

थाना– तुंगा, जिला– जयपुर पूर्व, प्रकरण सं. –82/24, धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के अंतर्गत प्राप्त प्रादर्श में एल्कोहल की उपस्थिति व मात्रा संबंधी राय चाही गयी। प्रादर्श के रासायनिक व उपकरण परीक्षण उपरांत सोडियम क्लोरेट व सोडियम कार्बोनेट के साथ–साथ एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति की पुष्टि की गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रकरण के अनुसंधान में नई दिशा प्राप्त हुई।

<u>आर्सन एवं एक्सप्लोजिव प्रकरण</u> :–

1. <u>11 वर्षीय मूक–बधिर बालिका को जलाने का प्रकरण</u> :–

थाना–नई मण्डी हिण्डौन, जिला करौली के प्रकरण संख्या 231/2024, धारा 302, 307, 34 आईपीसी के अंतर्गत एक 11 वर्षीय मूक बधिर बालिका को अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाने की घटना हुई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा घर के पीछे बने खेत से बालिका के कपड़े व चप्पल जब्त कर पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन की उपस्थिति की जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाये गये। दो दिन पश्चात् बालिका की मृत्यु के उपरांत् MO द्वारा लिये गये उसकी बाल व त्वचा के सेम्पल परीक्षण हेतु भिजवाये गये। इसके करीब दो माह पश्चात् अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा जब्त की गई एक प्लास्टिक की खाली बोतल भी पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी गई। उक्त समस्त प्रादर्शों में परीक्षणोपरांत पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति की पुष्टि की जाकर परीक्षण रिपोर्ट सात से दस कार्यदिवस में ही दे दी गई एवं अनुसंधान को उचित दिशा प्रदान की गई।

2. <u>निराश्रित गायों के खाने में विस्फोटक पदार्थ मिलाकर हत्या का प्रकरण</u> :–

पुलिस थाना रजियासर, जिला गंगानगर के प्रकरण संख्या 62, दिनांक 11.03.2024 धारा 3/8 व 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा निराश्रित गायों के खाने में विस्फोटक पदार्थ मिला कर हत्या करने का प्रयास किया गया। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल से जब्त मिट्टी, विस्फोटक पदार्थ आदि के तीन प्रादर्श एवं पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल मुआयने के दौरान लिये गये गायों के जबड़ों, जीभ आदि के छः प्रादर्श (कुल नौ प्रादर्श) विस्फोटक पदार्थ के परीक्षण हेतु प्राप्त हुये। जटिल परीक्षण प्रक्रिया के उपरांत उक्त सभी प्रादर्शों में एक ही प्रकार के विस्फोटक पदार्थ होने की पुष्टि की गई। उक्त विस्फोटक पदार्थ घर्षण के प्रति अति संवेदनशील होता है, जिसमें गायों द्वारा खाने को चबाने पर उत्पन्न हुये घर्षण से विस्फोट हो सकता है।

<u>नारकोटिक्स प्रकरण</u> :–

1. <u>एम.डी. के स्थान पर पोटेशियम नाइट्रेट की पुष्टि</u> :–

मुकदमा नं. 367/2023, धारा 8/22, 29 एन.डी. पी.एस. एक्त व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जवाहर नगर, पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के अंतर्गत प्रकरण में क्रिस्टलीय पाउडरनुमा पदार्थ जिसे एमडी होना बताया गया, उक्त प्रादर्शों का रासायनिक एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर एमडी के स्थान पर पोटेशियम नाइट्रेट होना पाया गया।

2. एम.डी.एम.ए. के स्थान पर सोडियम बाईकार्बोनेट (बेकिंग सोडा) की पुष्टि :–
मुकदमा नं. 534/2023, धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना बस्सी, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) के अंतर्गत प्रकरण में सफेद पाउडरनुमा पदार्थ को एम.डी.एम.ए. होना बताया गया, उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर एम.डी.एम.ए. के स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा) पाया गया।

3. नारकोटिक्स ड्रग के स्थान पर फिटकरी (एलम) की पुष्टि :–
जी.डी.नं. 36/2023, धारा 102 सीआरपीसी, थाना वैशाली नगर, पुलिस अधीक्षक अलवर के अंतर्गत प्रकरण में सफेद रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ पाया गया जिसे नारकोटिक्स से संबंधित मादक पदार्थ होना बताया गया, उक्त पदार्थ के रासायनिक एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर फिटकरी (एलम) होना पाया गया।

4. टांके की पुष्टि :–
मुकदमा नं. 249/2024, धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना साकेत नगर, पुलिस अधीक्षक ब्यावर के अंतर्गत प्रकरण में भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ पाया गया, जिसे स्मैक होना बताया गया। उक्त पदार्थ के रासायनिक विश्लेषण एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर स्मैक के स्थान पर पैरासिटामोल, कैफीन, ओलंजापाइन तथा ब्रूसीन का मिश्रण पाया गया।

अस्त्रक्षेप प्रकरण :–

1. चर्चित जघीना हत्या काण्ड (कैदी कुलदीप जघीना को पेशी पर ले जाते वक्त हत्या) संबन्धी प्रकरण :–
प्रकरण संख्या 217/2023, 218/2023 व 364/2023, थाना– हलैना, जिला–भरतपुर के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में 09 पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखा, बुलेट, कपडे, स्वाब व एक रोडवेज बस (कुल 100 प्रादर्श) परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुऐ जिस पर अस्त्रक्षेप सम्बन्धी जाँच की गयी एवं प्रकरण की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

2. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या संबन्धी प्रकरण :–
प्रकरण संख्या RC-02/2023/NIA/JPR, थाना–NIA Jaipur, जिला– NIA Branch office Jaipur के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में 08 पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखा बुलेट व स्वाब परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुऐ जिस पर अस्त्रक्षेप सम्बन्धी जाँच की गयी एवं प्रकरण की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

भौतिक प्रकरण :–

1. पाँच व्यक्तियों की हिट एण्ड रन केस मे एफएसएल रिपोर्ट से हुई संदिग्ध वाहन ब्रैजा कार की घटना मे संलिप्ता की पुष्टि :–
भौतिक अनुभाग द्वारा एफआईआर नं. –158/2023, धारा– 279ए, 304 A IPC, पुलिस थाना– तुंगा, जिला– जयपुर सिटी (पूर्व) से सम्बन्धित प्रकरण मे एक अज्ञात ब्रैजा कार मे घटना के पश्चात कार के क्षतिग्रस्त दरवाजे बोनेट व ग्लास नए लगवाए जाने के बाद भी अन्य प्रदर्शों के साथ परीक्षण हेतु भौतिक अनुभाग मे प्राप्त होने पर भौतिक अनुभाग द्वारा परीक्षणोपरांत एफएसएल रिपोर्ट मे कार मे नए लगाए गए पार्ट्स का पेन्ट, कार के अन्य पुराने बॉडी पार्ट्स के पेन्ट से अलग होना तथा कार मे लगे नए ग्लास का, कार मे लगे मेनीफेकचरिंग के समय लगे अन्य ग्लास से अलग होने की पुष्टि की गई, जिससे प्रकरण के अनुसंधान मे उचित दिशा मिली ।

2. चलती ट्रेन मे हुई आग लगने की घटना मे भौतिक अनुभाग एफएसएल जयपुर ने की शॉर्ट सर्किट की पुष्टि :–
दिनांक– 07.06.2024 को खातीपुरा–जगतपुरा रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रेक पर दौलतपुर चौक–साबरमती एक्स्प्रेस ट्रेन नंबर 19412 के AC कोच मे लगी आग की घटना मे भौतिक अनुभाग से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्रदर्शों के परीक्षण हेतु भौतिक अनुभाग मे प्राप्त होने पर भौतिक अनुभाग द्वारा परीक्षणोपरांत एफएसएल रिपोर्ट मे ट्रेन के 3AC कोच B-1 की इलेक्ट्रिक वाइरिंग मे शॉर्ट सर्किट की पुष्टि की गई, जिससे प्रकरण के अनुसंधान मे उचित दिशा मिली।

3. एसीबी से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों मे भौतिक अनुभाग मे भेजी गई ऑडियो फाइल्स मे निरंतरता (कंटीन्यूटी) की पुष्टि :–
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण केसेज मे परिवादी व आरोपी के

मध्य हुई मांग सत्यापन व रिश्वत लेन–देन की वार्ता की रिकॉर्डिड ऑडियो फाइल्स का भौतिक अनुभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर ऑडियो फाइल मे निरंतरता/किसी तरह की काँट–छाँट/छेड़छाड़ न होने की पुष्टि की गयी, जिससे एसीबी राजस्थान को अनुसंधान मे महत्वपूर्ण सहयोग मिला है ।

फोटो खण्ड प्रकरण :–

1. उप पंजीयक कार्यालय में जमीन/ भूमी की रजिस्ट्री में फर्जी मालिक बनकर धोखाधड़ी से बेचने से संबंधित फोटोग्राफ व विडियो में चेहरे का मिलान संबंधित परीक्षण :–

   पुलिस थाना– बागरा, जिला– जालोर, राजस्थान के प्रकरण संख्या–02/2023, धारा– 406, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी व 3(1)(f), 3(2)(ट) SC/ST ACT के अन्तर्गत आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित धोखाधड़ी तरीके से जमीन/ भूमी बेचान के कृत्य संबंधित प्रकरण में परिवादी द्वारा शिकायत करने पर उप पंजीयन कार्यालय, जालौर द्वारा रजिस्ट्री की रंगीन व साफ्टकॉपी तथा आरोपी के कन्ट्रोल फोटोग्राफ व विडियोग्राफी कर आरोपी के चेहरे का मिलान कर अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

2. मुल्जिम को जयपुर केन्द्रीय कारागृह से न्यायालय डकैती कोर्ट भरतपुर तारीख पेशी पर ले जाते समय राजस्थान रोडवेज बस में हुई फायरिंग सबंधित, सीसीटीवी फुटेज व आरोपीयों के कन्ट्रोल फोटोग्राफ से मिलान हेतु परीक्षण :–

   पुलिस थाना– हलैना, जिला– भरतपुर, मुकदमा संख्या–218/2023, धारा– 147, 148, 149, 307, 302, 120बी आईपीसी के अन्तर्गत सीसीटीवी रिकॉर्डिंग फुटेज में दिख रहे व्यक्तियों के चेहरे का मिलान आरोपीयों के कन्ट्रोल फोटोग्राफ से कर अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

3. डमी अभ्यार्थी द्वारा फेस मॉफिंग धोखेबाजी के लिए पहचान सत्यापन प्रणाली को धोखा देने का पसंदीदा हथियार बनाकर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षण अधिनियम 1992 में चेहरे मिलान संबंधित परीक्षण :–

   पुलिस थाना– SOG, राजसथान, जयपुर के प्रकरण संख्या–10/2024, धारा– 419, 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी एवं 4, 5, 6, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोकथाम) अधिनियम 1992 और 66डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत आरोपीयों द्वारा RPSC द्वारा आयोजित SI भर्ती–2021 एवं राजस्थान अधीनस्थ भर्ती बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा–2021 में अभ्यर्थियों द्वारा डमी कन्डीडेट प्रतियोगी परीक्षा में एक या एक से अधिक परीक्षाओं में एक क्षवि को धीरे–धीरे दूसरे में बदलकर डमी अभ्यर्थी की फोटो तैयार की जाकर प्रवेश पत्र में लगाया गया, जिसका मिलान भेजे गये कन्ट्रोल फोटो एवं विडियों से फोटो मॉर्फिंग परीक्षण कर अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

घटनास्थल निरीक्षण : महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. <u>प्रेमी संग मिलकर पत्नि द्वारा पति की हत्या संबंधी प्रकरण</u> :–

पुलिस थाना – जैतारण, जिला ब्यावर के अंतर्गत प्रकरण संख्या – 519/2024, दिनांक–13.11.2024, धारा – 103(1), 238(), 3(5) BNS & 3(2)(ट) SC ST ACT में थानान्तर्गत ग्राम निम्बेड़ा कलां में एक व्यक्ति की गला कटी हुई लाश मिलने की घटना के बाद आस पास के क्षेत्र में सनसनी एवं भय का वातावरण फ़ैल गया था। प्रकरण का खुलासा करने में कोई लिंक नहीं बैठ रहा था।

मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट अजमेर द्वारा तत्काल इस गंभीर प्रकरण का दो दिन तक निरीक्षण किया गया, घटनास्थल से दीवार पर लगे रक्त छींटें को पेंट कर दिया गया था, एवं रक्त रंजित सभी पर्चेजात जला दिए गए थे, लेकिन कमरे में लगे पोस्टर पर लगे रक्त के दो छींटों की मदद से एवं दीवार खुरेचकर कठिन परिस्थितियों में साक्ष्यों की पहचान कर उन्हें उचित रूप से संकलित करवा कर डी.एन.ए. करवाने के निर्देश पुलिस को प्रदान किए गए।

2. <u>महिला की आत्महत्या संबंधी प्रकरण</u> :–

पुलिस थाना– मांगलियावास, जिला– अजमेर के अंतर्गत प्रकरण संख्या – 214/2024, दिनांक : 17.11.2024, धारा – 103(1) BNS में पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में थानान्तर्गत ग्राम नदी–II में मृतका की फांसी लगने से मौत होने के बाद, अपराध घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, अजमेर द्वारा दिनांक–18.11.2024 को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, उक्त कमरे में टूटी हुई एवं गाँठ लगी ओढ़नी जिस के दो भाग पाये गये, रोशनदान की सतह पर उँगलियों के निशान व ऊपर छत में एक धात्विक हुक लगा पाया गया। उक्त हुक पर ताजा उपयोग के साक्ष्य पाए गए, जिस आधार पर बताया गया कि आत्महत्या की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त साक्ष्यों से प्रकरण के खुलासे में सहायता मिली।

3. <u>पति द्वारा पत्नि की हत्या की घटना</u> :—

पुलिस थाना—एयरपोर्ट, जिला जोधपुर पूर्व प्रकरण संख्या 185/24 धारा 85ए 103(1) BNS के अन्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नि की हत्या की घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, जोधपुर द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों गले पर स्थित लिगेचर मार्क्स, गले पर रक्त व घाव, बिस्तर पर रक्त तथा मकान के दरवाजे के पास रक्त के धब्बों व हत्या मे प्रयुक्त कैंची इत्यादि को खोजा गया। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ कर अनुसंधान मे सहयोग किया।

4. <u>हत्या की घटना में पोस्टमार्टम के मृतक के भाव का अंतिम संस्कार कर दिया गया</u> :—

पुलिस थाना—सूरसागर, जोधपुर पूर्व प्रकरण संख्या 203/24 धारा 302 आईपीसी के अन्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, जोधपुर द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों ऑगन, बिस्तर,बनियान पर रक्त तथा लकड़ी के टूटे हुए डण्डे को खोजा गया। महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान मे सहयोग किया गया।

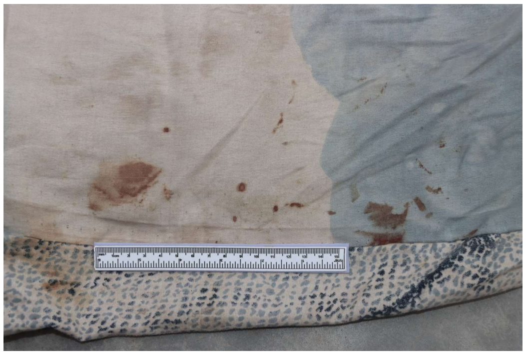

5. <u>व्यक्ति की हत्या संबंधी प्रकरण</u> :—

पुलिस थाना खाजुवाला, बीकानेर के प्रकरण सं. 106/03.05.2024 धारा 302, 201, 34 भादस के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कारित होने का संशय होना बताया जिसके अन्तर्गत एफ.एस.एल. टीम द्वारा मृतक के मकान का अत्यधिक गहनता से निरीक्षण किये जाकर इस प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाये गये जिनसे न केवल घर में ही हत्या कारित होने की संभावना की पुष्टि करने में मदद मिली बल्कि घटना का स्थान, प्रकार व क्रम (Modus operandi) का भी पता लगाया जा सका, जिस क्रम में एफ.एस.एल. टीम द्वारा घरवालों द्वारा घटनास्थल कमरे का फर्श धोने व दीवारों से खुरच कर रक्त के छींटे हटाने के बाद भी कमरे की छत व फर्नीचर पर लगे Project Blood Pattern के मजबूत साक्ष्य जुटाये गये व जिस कपड़े से कमरे मे फैला रक्त साफ किया गया उसे जली हुई अवस्था में हमाम से प्राप्त कर उस पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि की गई व जिस स्थान पर कमरे का रक्त रंजित फर्श धोकर पानी गिराया गया वह स्थान ढुंढकर गिली मिट्टी में रक्त की पुष्टि कर संपूर्ण घटनाक्रम का क्रम तय किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा छुपाये गये रक्त रंजित कपडों को ढुंढकर उनका परीक्षण किया गया।

6. <u>महिला के सर एवं हाथ काटकर हत्या करने संबंधी प्रकरण</u> :–
पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी प्रकरण सं. 227/15.06.2024 धारा 302, 201 के अन्तर्गत एक महिला कर सर व हाथ कटी लाश नग्न अवस्था में Dumping yard में मिलना बताया गया। उपरोक्त प्रकरण में एफ.एस.एल. टीम द्वारा गहनता से घटनास्थल का निरीक्षण कर महिला के शव के पास से रक्त रंजित रस्सी का टुकड़ा, Project Blood Pattern, गर्दन पर बने Cut Markes के आधार पर संभावित हथियार आदि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना का Modus operandi बताये जाने में सहायता प्रदान की गई तथा प्रकरण में जोधपुर जिलें मे जाकर नाले से मृतका का कटा हुआ सर व हाथों की बरामदगी में अनुसंधान अधिकारी को सहायता प्रदान की गई।

7. <u>सामुहिक आत्महत्या संबंधी प्रकरण</u> :–
पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी प्रकरण सं. 48/02.10.2024 धारा 194 BNS के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक परिवार के सभी सदस्यो द्वारा सामुहिक आत्महत्या किये जाने के संबंध में सूचना दी गई। जहॉ घटनास्थल पर पहुचकर टीम द्वारा गहनता से निरीक्षण कर आत्महत्या हेतु प्रयोग मे ली गई दवाइयों के 10 से अधिक खाली पत्ते मकान के पीछे डस्टबिन से प्राप्त किये गये, चाकु फिनाईल की बोतल व प्रथम प्रयास मे लिखे सुसाइड नोट के फटे हुए टुकडे आदि बरामद किये गये जिसके आधार पर और अधिक गहनता से निरीक्षण कर टीम द्वारा चार पन्नों का सुसाइड नोट, नोट लिखने हेतु प्रयोग मे ली गई पेन व शेष पन्नें (with the impression of hand written note) (आदि प्राप्त कर पूरे घटनाक्रम की Modus operandi एक सुसाइड के रूप में पुष्टि करने में मदद की गई।

8. <u>संदिग्ध अवस्था में कंकाल मिलने संबंधी प्रकरण</u> :– प्रकरण संख्या– 126/24, दिनांक– 21.05.2024, धारा– 302, 120बी, 34 आईपीसी, थाना– खण्डार, जिला– सवाईमाधोपुर। दिनांक 21.05.2024 को खण्डार कस्बे मे एक व्यक्ति का शव की गर्दन बबूल के पेड के तने से रस्सी से बॅधी पायी गयी जहॉ मोबाईल फोरेंसिक यूनिट सवाई माधोपुर द्वारा घटनास्थल पहुॅचकर महत्वपुर्ण साक्ष्यों मृतक के गर्दन पर बॅधी रस्सी, मेडिकल सैंपल इत्यादि प्रादर्शो का जप्त करवा कर अग्रिम व विस्तृत परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भिजवाने की सलाह दी गईं।

9. <u>महिला व बालकों कि संदिग्ध अवस्था में जले शव से संबंधी प्रकरण</u> :–

प्रकरण संख्या– 111/24, दिनांक– 22.06.2024, धारा– 302, 201 आईपीसी, थाना– मासलपुर, जिला– करौली। दिनांक 22.06.2024 को मासलपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भोजपुर रोड पर स्थित वन विभाग नर्सरी मे एक महिला एवं बालिका के दो जले अधजले शव मिले जहॉ मोबाईल फोरेंसिक यूनिट सवाई माधोपुर द्वारा घटनास्थल पहुँचकर महत्वपुर्ण साक्ष्यों काले रंग लगे पत्थर, तरल पदार्थ युक्त मिटट्ी, सादा मिटट्ी, दीवारों पर कालिख लगी पपडी, मृतका एवं बालिका के कमर से उपर तक की चमडी व कपडों का सैंपल, मृतका व बालिका के पार्चेजात, मेडिकल सैंपल को आव यकतानुसार अग्रिम व विस्तृत परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर भिजवाने की सलाह दी गई।

10. <u>हत्या के पुराने प्रकरण स्कॉर्पियों गाडी में रक्त के साक्ष्य की पहचान</u> :–

पुलिस थाना हमीरवास, चूरू में दिनांक 10.03.2024 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना हमीरवास अंतर्गत गाँव भैसली में स्थित भूपसिंह पूनियां पुत्र श्री सुमेरसिंह के घर में पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी तरीके से जगह–जगह पर (कमरों के अंदर रखे कपड़ों, अन्य सामान व पशुओ के बाडे में घास–फूस आदि) आग लगने की घटना घटित हो रही है तथा घर में दो बच्चों व एक महिला की संदिग्ध मृत्यु हो चुकी है, जिससे पुरे गाँव के लोग अन्धविश्वास व भय के माहौल से ग्रस्त है। घटनास्थल घर में रहस्यात्मक तरीके से लगने वाली आग व होने वाली तीन मृत्यु के वैज्ञानिक कारणों को जानने हेतु धारा 102 सीआरपीसी अंतर्गत संदिग्ध प्रादर्शो को जब्त करने के लिए घटनास्थल निरीक्षण करने हेतु मोबाईल फोरेंसिक टीम चूरू को मौके पर बुलाया गया। जिसके अंतर्गत मोबाईल फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल घर का गहनता से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल घर के आँगन मैं स्थित बरामदे,हॉल के अन्दर सामने के कमरे में लगे हेंगर पर कालिख जमी हुई पाई गयी तथा हेंगर के नीचे कमरे के फर्श पर अर्द्ध जले हुए कपड़े पाए गये। उक्त अर्द्ध जले हुए कपड़ों व कपड़ों के पास की कमरे की दीवार पर चमकीला सिल्वर रंग जैसा पदार्थ जमा हुआ पाया गया। घटनास्थल घर में बाहर की तरफ कैमरे लगे हुए पाए गये तथा घर के कमरे के अन्दर रखी DVR गायब पाई गयी व DVR व कैमरों की वायरिंग जली हुई स्थिति में पाई गयी घटनास्थल घर में कमरों में हैंगर पर से अर्द्ध जले हुए प्रादर्शो (कपड़े, रस्सा), कालिख व पाए गये चमकीले सिल्वर कलर जैसे पदार्थ की सैम्पलिंग करवाई गयी तथा प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण वायु के सम्पर्क से स्वतः ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति मानी गयी, जिसकी क्षे. वि.वि.प्र. जोधपुर के रसायन अनुभाग द्वारा भेजे गये सेम्पलों का परीक्षण कर पुष्टि की गयी तथा दो बच्चों व एक महिला की होने वाली संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए दफनाई गयी बॉडी को बाहर निकलवाकर दौराने पोस्टमोर्टम लिए गये विसरा व दफनाए गये स्थान से मिट्टी आदि के सेम्पल लिए जाकर क्षे.वि.वि.प्र. जोधपुर के विष अनुभाग में भेजे गये।

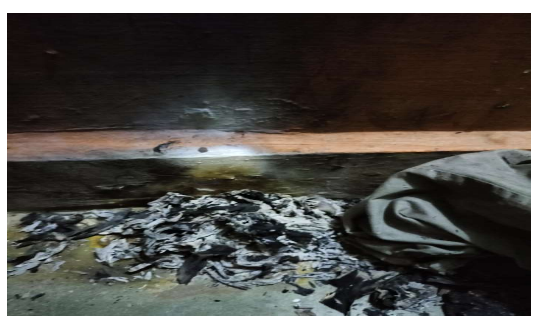

11. साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थल व घटना की पुष्टि :–

पुलिस थाना मालपुरा गेट जिला–जयपुर शहर (पूर्व) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा संख्या–497/2024, धारा–137(2), 127(2), 76, 65(2) बी.एन.एस. 2023 व 3/4, 5/6, 7/8 पोक्सो एक्ट में एक नाबालिग बालिका के साथ आरोपी द्वारा बलात्कार करने की घटना सामने आई थी। एफ.एस.एल. टीम अनुसंधान अधिकारी के साथ घटना के संभावित स्थान पर पहुँचकर साक्ष्यों की खोज के आधार पर घटनास्थल का निर्धारण किया। घटनास्थल मकान के एक कमरे में पड़े मिले रक्त एवं घटना से पूर्व बालिका के हाथ में मौजूद बीस रूपये के नोट का घटनास्थल पर पड़े मिलने के आधार पर मूल घटनास्थल निर्धारित हुआ।

12. महिला की संदिग्ध मृत्यु हुई हत्या साबित :–

पुलिस थाना–गांधी नगर, जिला–जयपुर ाहर (पूर्व) के मर्ग संख्या–21/2024, धारा–194 बी.एन.एस.एस. 2023 के अंतर्गत एक महिला का भाव मकान में पड़ा मिला था जिसकी संदिग्ध मृत्यु मानते हुए पुलिस द्वारा एफ.एस.एल. टीम से निरीक्षण हेतु सूचित किया गया। एफ.एस.एल. टीम द्वारा घटनास्थल मकान एवं भाव (Deadbody) का निरीक्षण करने पर बैडरूम में बिस्तर एवं फर्श पर पड़े मिले Bangles के टुकड़ों तथा भाव (Deadbody) पर विभिन्न स्थानों पर मिले चोटों के निशान के आधार पर महिला की हत्या होने की संभावना टीम द्वारा व्यक्त की गई। बाद में पुलिस अनुसंधान में भी महिला की हत्या होना सामने आया।

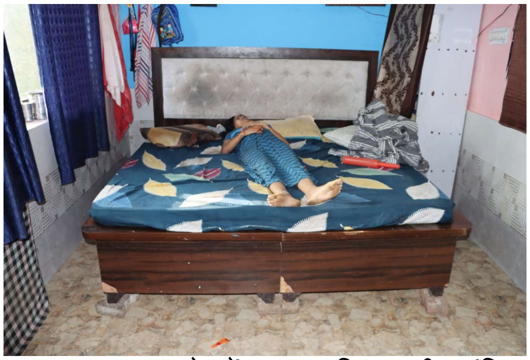

13. खण्डहरनुमा कमरे में वृद्ध महिला की संदिग्ध मृत्यु, हत्या हुई साबित :–

मुकदमा नं.–123/2023, दिनांक–10.04.2024, धारा–302, 394, आई.पी.सी., पुलिस थाना–मौजमाबाद, जिला–दूदू के अन्तर्गत दिनांक–10.04.2024 को घटनास्थल महला, सफेदा फार्म हाउस में खण्डहरनुमा कमरे में एक वृद्ध महिला का शव मिलने की घटना घटित होना बताया गया।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 10.04.2024 को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर एक वृद्ध महिला का शव मिला, मृतका के पैरों, हाथों व शरीर पर खरोंच/रगड़ के निशान पाये गये एवं मृतका के बायें (Left) पैर में ऐड़ी (Ankle) के ऊपर चोट/घाव के निशान पाये गये व कुछ रक्त निकला हुआ पाया गया। घटनास्थल पर कुछ मैटेलिक फनर के टुकड़े पाये गये। घटनास्थल पर पड़े मिले उक्त मैटेलिक फनर के टुकड़ों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान इसी दिशा में किया जाकर आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली एवं प्रकरण का खुलासा हुआ।

13. <u>खाली प्लॉट में मिले युवक की संदिग्ध मृत्यु, हत्या हुई साबित</u> :—

मुकदमा संख्या 375/2024, दिनांक—28.05.2024 धारा—302 आई.पी.सी., पुलिस थाना— हरमाड़ा, जिला—जयपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत दिनांक—27.05.2024 को घटनास्थल लोहामंड़ी रोड, पावर हाउस के पास खाली पड़े प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने की घटना घटित होना बताया गया।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 27.05.2024 को घटनास्थल व शव (Dead body) का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा घटनास्थल पर मिले रक्त, मृतक के शव के शरीर पर मिले चोट/घाव के आधार पर मृतक की हत्या होना सामने आया। फलस्वरूप पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान इसी दिशा में किया जाकर आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली एवं प्रकरण का खुलासा हुआ।

14. <u>हत्या संबंधी प्रकरण</u> :—

प्रकरण संख्या—106/2024, दिनांक— 08.04.2024, धारा—302,201 आई.पी.सी., पुलिस थाना—सदर, जिला—बारां में दिनांक 08—04—2024 को एक खेत में एक अज्ञात युवक की मोटरसाइकिल सहित जली हुई अवस्था में लाश मिली। प्रकरण में दिनांक 08.04.2024 को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बारां द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे घटना में प्रयुक्त लाईटर इत्यादि को खोजकर प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग किया गया। साथ ही खेत से कुछ दूरी पर बने एक कमरे में कालिख खोजकर मुल्जिम को गिरफ्तार करवाने में सहयोग प्रदान किया।

15. <u>हैंगिंग का प्रकरण</u> :—

प्रकरण संख्या— 167/2024, धारा— 85, 108, 238बी बी.एन.एस.., थाना—केलवाडा, जिला—बारां में दिनांक 20—08—2024 को केलवाडा थानान्तर्गत एक महिला की हत्या कर अंतिम संस्कार करने से संबंधित सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकरण में दिनांक 20.08.2024 को मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बारां घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर एक साडी के तीन टुकडे पाये गये तथा कमरे में लोहे की इंगल पर फाईबर/रेशे खोजकर प्रकरण को नई दिशा प्रदान की गई।

16. <u>दुष्कर्म के बाद बच्ची के 10 टुकड़े करने वाले आरोपी को फोरेंसिक सबूतों के आधार पर फांसी की सजा</u> :–

थाना–मावली, जिला–उदयपुर के प्रकरण संख्या– 53/23 में गुमशुदा 8 साल की बच्ची के टुकड़े एक खण्डर में दो थेलियों मे पाये गये। मोबाईल फोरेंसिक युनिट के द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण के दौरान खण्डर के पास स्थित आरोपी के घर के बाथरूम व कमरे मे संदिग्ध धब्बे पाये गये। जिनका प्राथमिक रासायनिक परीक्षण करने पर मानव रक्त की पुष्टि होना पाया गया। अनुसंधान अधिकारी ने मानव रक्त की पुष्टि के आधार पर आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करना स्वीकार किया। माननीय पोक्सो कोर्ट उदयपुर के द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के बाद बच्ची के 10 टुकड़े किये जाना प्रमाणित माना तथा आरोपी को फांसी व सहअभियुक्तों को 4–4 साल की सजा सुनाई।

18. <u>भांकरोटा, जयपुर में LPG टैंकर से आगजनी की घटना के कारणों का एफ.एस.एल. टीम द्वारा खुलासा</u> :–

जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग डीपीएस कट भांकरोटा में दिनांक 20.12.2024 को प्रातः एक 18 टन एल.पी.जी. टैंकर का कार्गो कंटेनर/ट्रेलर से टकरा जाने से एल.पी.जी. टैंकर के तीनों सैफ्टी वाल्व के नोजल टूटकर अलग हो गये तथा गैस का रिसाव/फैलाव के बाद स्पार्क के कारण आस–पास के काफी बड़े क्षेत्र में विस्फोट से आग लगने की दुर्घटना में अनेक व्यक्तियों की जलने से मृत्यु हो गई। घटना की जाँच हेतु डॉ. संजय शर्मा अतिरिक्त निदेशक घटनास्थल के मार्गदर्शन में सहायक निदेशक (भौतिक) एवं सहायक निदेशक (आर्सन एंड एक्सप्लोसिव) के विशेषज्ञों के साथ मोबाईल फोरेंसिक यूनिट जयपुर द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर आग के कारणों का खुलासा टीम द्वारा मौके पर ही कर दिया गया।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्षैत्रीय प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
डॉ. अजय शर्मा, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स), 9414301466 ई–मेल:director.fsl@rajasthan.gov.in
डॉ. संजय शर्मा, अतिरिक्त निदेशक(घटनास्थल एवं एफ.टी.आर.आई.), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2990167, 7725963161 ई–मेल:addldirector.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
डॉ. शालू मलिक, प्रभारी अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड,मण्डोर, जोधपुर–342304	0291–2577966, 2577259, 9783309066 ई–मेल:rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
डॉ. परमजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, चित्रकूट नगर, बुहाना–प्रतापनगर बाईपास, उदयपुर–313001	0294–2980133, 9460343351 ई–मेल: rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
डॉ. राखी खन्ना, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा रोड,कोटा–324009	0744–2401644, 2400644, 9529791877 ई–मेल: rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
डॉ. वी. वेंकटेश, प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 10वीं आर.ए.सी बटालियन के पीछे, करणी नगर, बीकानेर–334003	0151–2941555, 9414478543 ई–मेल: rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
श्री राजवीर, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर–305004	0145–2942581, 9414249466 ई–मेल: rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
श्री आर. के. मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक,क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ए–94 रणजीत नगर,भरतपुर–321001	05644–294390, 9414827236 ई–मेल: rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

विशेष पहल एवं वर्ष 2024 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. एफ.एस.एल राजस्थान द्वारा वर्ष 2024 में कुल 50839 प्रकरणों का परीक्षण कर रिकार्ड स्थापित किया, जिसमे से डीएनएन के 5259 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जो कि एफ.एस.एल राजस्थान के इतिहास में एक वर्ष में परीक्षण किये गये प्रकरणों का उच्चतम स्तर है।
2. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में पोक्सो के प्रकरणों में 15 दिवस में डीएनए रिपोर्ट देना सुनिश्चित कर दिया गया है।
3. एफएसएल राजस्थान द्वारा अन्य राज्य की एफएसएल अधिकारियों को स्नैक वैनम जांच सम्बंधित प्रशिक्षण दिया गया।
4. केन्द्रीय जांच ऐजेन्सी जैसे एनआईए, सीबीआई व भारतीय सेना के प्रकरणों में फोरेंसिक जांच सुविधा उपलब्ध करवायी।
5. अन्य राज्यों के कुछ परीक्षणशुदा प्रकरणों का पुनः परीक्षण इस प्रयोगशाला द्वारा किया जाता रहा है।
6. नवीन कानून भारतीय सुरक्षा संहिता (BNSS) 2024 की धारा 176 (3) के अन्तर्गत राज्य के 43 पुलिस थानों का नोटिफिकेशन करवा दिया गया है।

भविष्य की योजना

1. समस्त डीएनए प्रकरणों की प्रकरण प्राप्ति से 10 कार्य दिवस में रिपोर्ट उपलब्ध करवाना।
2. समस्त क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए व साईबर खण्ड क्रियान्वित करना।
3. नवीन कानून के अन्तर्गत प्रदेश के शेष रहे जिलों में मोबाईल फोरेंसिक यूनिट क्रियाशील करना।
4. नवीन कानून भारतीय सुरक्षा संहिता (BNSS) 2024 की धारा 176 (3) के अन्तर्गत राज्य के शेष रहे 976 पुलिस थानों का आगामी तीन वर्षों में नोटिफिकेशन करवाया जाना प्रस्तावित है।

झलक–2024

एफएसएल, राज. के अधिकारियों को नवीन कानून BNSS, BSA, BNS संबंधी प्रशिक्षण।

एफएसएल प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम।

FTRI में डॉ. हर्ष शर्मा ओएसडी एफएसएल भोपाल द्वारा एफएसएल के वैज्ञानिकों को घटनास्थल निरीक्षण पर व्याख्यान।

प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को एफएसएल संबंधी प्रशिक्षण।

FTRI जयपुर में महिला दिवस पर कार्यक्रम।

प्रशिक्षु आरजेएस अधिकारियों को एफएसएल संबंधी प्रशिक्षण।

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

गृह विभाग, राजस्थान सरकार

STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY

Home Department, Govt. of Rajasthan

Neharu Nagar, RPA Road, Jaipur-302016,
Phone 0141-2301584, Fax 0141-2301589
website:- www.home.rajasthan.gov.in/sfsl